भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1301

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

ई-श्रम पोर्टल पर चाय बागान कामगारों का पंजीकरण

1301. डॉ. जयंत कुमार रॉय:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीकृत और लाभान्वित जलपाईगुड़ी के चाय बागान कामगारों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या सरकार जलपाईगुड़ी में असंगठित क्षेत्र के कामगारों, विशेषकर महिलाओं और आदिवासी श्रमिकों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा योजना लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और **(ख):** श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आधार से जुड़े असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) की शुरूआत की है। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और समर्थन करना है।

22 जुलाई 2025 तक की स्थिति अनुसार, 30.95 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें जलपाईगुड़ी के 17,337 चाय बागान कामगार भी शामिल हैं। दिनांक 24.07.2025 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत जलपाईगुड़ी जिले के चाय बागान कामगारों का योजनावार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

लाभ प्रदान करने के लिए, ई-श्रम पोर्टल को निम्नलिखित पोर्टल/योजनाओं के साथ एकीकृत/मैप किया गया है:

(i) ई-श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। एक असंगठित कामगार अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का उपयोग करके एनसीएस पर पंजीकरण कर सकता है और उपयुक्त नौकरी के अवसरों की खोज कर सकता है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों को एनसीएस पर निर्बाध पंजीकरण के लिए एक विकल्प/लिंक भी प्रदान किया गया है।

(ii) ई-श्रम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के साथ एकीकृत है। पीएम-एसवाईएम 18-40 वर्ष की आयु के असंगठित कामगारों के लिए एक पेंशन योजना है। यह 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करती है। यूएएन का उपयोग करके कोई भी असंगठित कामगार आसानी से पीएमएसवाईएम के अंतर्गत नामांकन कर सकता है। इस योजना में 50 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है और शेष राशि कामगार द्वारा दी जाती है।

(iii) कामगारों को अपना पता बदलने का विकल्प दिया जाता है और उनके स्थायी पते और वर्तमान पते के आधार पर प्रवासी कामगारों की पहचान की जाती है।

(iv) ई-श्रम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सन्निर्माण कामगार के डाटा को साझा करने का प्रावधान जोड़ा गया है ताकि संबंधित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (बीओसीडब्ल्यू) बोर्डों में उनके पंजीकरण की सुविधा मिल सके।

(v) असंगठित कामगारों को कौशल संवर्धन और प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

(vi) ई-श्रम को माईस्कीम पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। माईस्कीम एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म है जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की एक ही स्थान पर खोज और जानकारी प्रदान करना है। यह नागरिकों की पात्रता के आधार पर योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नवीन, प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करता है।

असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु ई-श्रम को वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने के 2024-25 की बजट घोषणा को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" की शुरुआत की। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल, अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत करता है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्रदान करने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने और उन तक पहुंच बढ़ाने के लिए, अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीएनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीनरेगा) योजना, प्रधानमंत्री आवास योजन-ग्रामीण (पीएमएवाई -जी) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है।

*

*****

अनुबंध

"ई-श्रम पोर्टल पर चाय बागान कामगा रों का पंजीकरण" के संबंध में दिनांक 28.07.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1301 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 24.07.2025 तक जलपाईगुड़ी जिले में ई-श्रम पर पंजीकृत चाय बागान कामगारों की संख्या, जो चुनिंदा ई-श्रम एकीकृत केंद्र सरकार योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

योजना	**पंजीकरण की संख्या**
वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)	13,695
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीनिधि)	4
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	4,896
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	589
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस)	3
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	2
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)	57
प्रधानमंत्री आवास योजना - अर्बन (पीएमएवाई-यू)	7
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	-
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	1,597
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	5,373
आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)	32
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-केएसएन)	39
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	7

*****